# न्यायालयः— पीठासीन अधिकारी, नेशनल लोक अदालत
# खंडपीठ क्रमांक—1, रायपुर,(छत्तीसगढ़)

## (पीठासीन अधिकारी— बलराम प्रसाद वर्मा)

**दावा प्रकरण क्रमांक—175/2025**
संस्थित दिनांक 07/01/2025
**CNR No.:- CGRP01-001620-2025**

1. दिलहरण पिता छेदू, उम्र 57 वर्ष
2. जानकी बाई पति दिलहरण केंवट, उम्र 50 वर्ष,
दोनों निवासी ग्राम अमलडीहा, थाना बिलईगढ़
जिला सारंगढ़, छ0ग0 ................. **आवेदकगण।**

**—:: बनाम ::—**

01. विष्णु प्रसाद शर्मा पिता श्याम सुन्दर शर्मा,
उम्र 22 वर्ष, हाल मुकाम — दुर्गा जिप्सम वेन्चर्स
प्रा0 लिमि0, बलौदाबाजार, थाना सिटी कोतवाली,
जिला बलौदाबाजार, छ0ग0
(वाहन क्रमांक सी.जी.—22जेड—2060 का चालक)
02. दुर्गा जीप्सम वेंचर्स प्रायवेट लिमिटेड,
पता बी—3, सेक्टर—3, हैरीटेज हॉस्पीटल के पास,
रायपुर— 492001
(वाहन क्रमांक सी.जी.—22जेड—2060 का चालक)
पंजीकृत स्वामी)
03. दी ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमि0,
व्दारा — संभागीय प्रबंधक,
दी ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमि0,
पता — सेक्टर—27, दूसरा मंजिल, कामर्शियल
काम्प्लेक्स, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छ0ग0
वाहन क्रमांक सी.जी.—22जेड—2060
का बीमाकर्ता) ................... **अनावेदकगण**

---

# // राजीनामा एवार्ड //

## (आज दिनांक 13/09/2025 को पारित)

1— आवेदकगण ने मोटर दुर्घटना में संतोष कुमार केवर्त की मृत्यु होने के फलस्वरूप दुर्घटना दावा क्षतिपूर्ति की राशि 22,90,000/—रूपये मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अनावेदकगण से दिलाये जाने हेतु आवेदन अंतर्गत धारा—166 मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत प्रस्तुत किये हैं।

2— आज आयोजित नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आवेदकगण तथा अनावेदक क्रमांक—03 बीमा कम्पनी के मध्य समझौता आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार अनावेदक क्रमांक—03 बीमा कम्पनी, आवेदकगण को कुल प्रतिकर की राशि **13,50,000/— (तेरह लाख पचास हजार रूपये मात्र)** एवार्ड दिनांक से **एक माह** के भीतर अधिकरण के खाते में जमा कर भुगतान करेगी जिसमें वादव्यय एवं अधिवक्ता शुल्क शामिल है। आवेदकगण, अनावेदक क्रमांक—01 एवं 02 के विरूद्ध कोई सहायता नहीं चाहते हैं।

3— खंडपीठ द्वारा पूछे जाने पर उभयपक्ष ने स्वेच्छापूर्वक राजीनामा करना व्यक्त किये हैं और जो राजीनामा किया गया है, वह पक्षकारों के हित में है और विधि अनुकुल है। अतः राजीनामा आवेदन विधिपूर्ण होने से स्वीकार कर निम्नलिखित एवार्ड दिया जाता है —

(1) अनावेदक क्रमांक—03 बीमा कम्पनी, आवेदकगण को उक्त क्षतिपूर्ति राशि **13,50,000/— (तेरह लाख पचास हजार रूपये मात्र)** एवार्ड दिनांक से **एक माह** के भीतर अधिकरण के खाते में जमा कर प्रदान करेगी। इस तिथि तक क्षतिपूर्ति राशि जमा न कराये जाने पर एवार्ड दिनांक से क्षतिपूर्ति राशि भुगतान करने के दिनांक तक **6 प्रतिशत वार्षिक** की दर से साधारण ब्याज भी देय होगा।

(2) अनावेदक क्रमांक—01 एवं 02 के विरूद्ध आवेदन निरस्त किया जाता है।

(3) उक्त क्षतिपूर्ति राशि 13,50,000/—रूपये इस अधिकरण के खाते में जमा होने पर उसमें से 6,75,000/—रूपये आवेदक क्रमांक—1 दिलहरण तथा 6,75,000/—रूपये आवेदिका क्रमांक—2 जानकी बाई प्राप्त करेंगे।

(4). **आवेदक क्रमांक—1** को प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति राशि में से **3,50,000/—रूपये** उसके नाम पर **3 वर्ष** की कालावधि हेतु तथा **आवेदिका क्रमांक—2** को प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति राशि में से **3,50,000/—रूपये** उसके नाम पर **4 वर्ष** की कालावधि हेतु

किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि खाते में विनियोजित किया जावेगा, जो परिपक्वता अवधि उपरान्त देय होगा तथा आवेदक क्रमांक–1 एवं आवेदिका क्रमांक–2 के हिस्से की शेष क्षतिपूर्ति राशियां उन्हें एकाउंट–पेयी चेक द्वारा तत्काल भुगतान किया जावेगा।

सभी पक्ष अपना–अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

**सही / –**
**(बलराम प्रसाद वर्मा)**
पीठासीन अधिकारी
नेशनल लोक अदालत, खंडपीठ क्रमांक–1
रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0)

**सदस्यगण :–**

**सही / –**
1. श्री मोरध्वज सिंह बैस, अधिवक्ता।

**सही / –**
2. श्री विनोद कुमार चेतवानी, अधिवक्ता।

**<u>सत्यप्रतिलिपि</u>**
1. आवेदक
2. अनावेदक

BALRAM PRASAD VERMA
Digitally signed by BALRAM PRASAD VERMA
Date: 2025.09.15 17:19:08 +0530

**(बलराम प्रसाद वर्मा)**
**पीठासीन अधिकारी,**
**नेशनल लोक अदालत, खंडपीठ क्रमांक–1,**
**रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0)**